न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 81/2017 **दायरा दिनांक : 23.05.2017**

उनवान

1— पूनमचन्द आत्मज श्री किशनगोपाल जी, जाति धाकड, निवासी दीगोद खालसा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

2— ओम प्रकाश आत्मज श्री पूनमचन्द जी, जाति धाकड, निवासी दीगोद खालसा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

भंवरलाल आत्मज श्री कजोडीलाल जी, जाति धाकड, निवासी ग्राम छीपाबडोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक :05.04.2018**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या — 186/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट भंवर लाल ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम दीगोद खालसा, तहसील छीपाबडोद में आराजी खसरा नम्बर 337/3 रकबा 5 बीघा स्थित है । प्रतिवादी वादी के खाते की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहता है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । यदि उन्होंने आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया तो वादी को अपरिमिति क्षति होगी । वाद कारण दिनांक 13.06.2007 को उत्पन्न हुआ । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी के बाबत प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये कि वे वादी को बेदखल नहीं करें और जबरन कब्जा नहीं करें । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.04.2017 को दावा वादी स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि दावा दायरी के दिनांक को वादी का कब्जा नहीं था । प्रतिवादी का इस पर बाल्यकाल से ही कब्जा चला आ रहा है । प्रतिवादी अपीलांट प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं । कब्जे के अभाव में स्थायी निषेधाज्ञा का दावा मेंटेनेबल नहीं है । वादी ने दौराने दावा 6 नियम 17 का प्रार्थना पत्र पेश कर कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया है जिससे स्पष्ट है कि आराजी पर अपीलांट काबिज था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

4 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

5 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काउंटर क्लेम पेश किया था जिस पर निर्णय पारित नहीं किया गया है । दिनांक 15.07.2010 को वादी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है । प्रार्थना पत्र के अनुसार वादी का कब्जा वादग्रस्त आराजी पर नहीं था । दावा दायरी से पूर्व ही वादी का कब्जा नहीं होने के कारण उनका दावा मेंटेनेबल नहीं था । वादी का 6 नियम 17 का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है व दावा डिक्री किया है । वादी का दावा अन्दर मियाद नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर एल डब्ल्यू 2018 (1) पेज 479, आर आर टी 2009–2010 (सप्लीमेंट्री) पेज 255, आर आर टी 2016 (2) पेज 944 उद्धरत की ।

6 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोंडेंट के खाते व कब्जे की है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की और विधि सम्मत रूप से रेस्पोडेंट का दावा डिक्री किया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

7 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ नयायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2063–66 एक्जीविट पी 1 सलंग्न है जिसमें खसरा नम्बर 377/3 रकबा 5 बीघा आराजी वादी के खाते में दर्ज है । एक्जीविट पी 2 नक्शाट्रेस की प्रति है । आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति एक्जीविट पी 3, दखलनामो की प्रमाणित प्रति एक्जीविट पी 4 सलंग्न है । अपीलांट प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश कर यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर कभी भी वादी की काश्त नहीं रहा है । अतः काउंटर

क्लेम स्वीकार कर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाये और वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये ।

8 वादी के द्वारा दिनांक 15.07.2010 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 नियम 17 पेश किया है कि दावा पेश करने के बाद प्रतिवादी ने जबरन कब्जा कर लिया है वो इस आराजी पर अतिक्रमी है । अतः उसे बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.07.2011 को यह प्रार्थना पत्र खारिज किया है । पत्रावली पर वादी की साक्ष्य के रूप में भंवर लाल वादी के बयान पी डब्ल्यू 1 राधेश्याम पी डब्ल्यू 2, जसवंत पी डब्ल्यू 3, महावीर पी डब्ल्यू 4 कराये गये हैं । प्रतिवादीगण की ओर से बयान पूनमचन्द डी डब्ल्यू 1, चम्पा लाल डी डब्ल्यू 2 गुलाब चन्द डी डब्ल्यू 3 कराये गये हैं ।

9 अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा दिनांक 15.07.2010 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 नियम 17 पेश कर यह कथन किया था कि दिनांक 28.06.2007 को जबरन प्रतिवादी ने आराजी पर कब्जा कर लिया है । अतः उसे अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के इस प्रार्थना पत्र को अपने निर्णय दिनांक 14.07.2011 से खारिज किया है । यद्यपि वादी के द्वारा इस निर्णय के खिलाफ कोई रिवीजन पेश किया गया हो ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है परन्तु फिर भी इस प्रार्थना पत्र के आधार पर यह निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी पर वादी ने दौराने दावा प्रतिवादी के द्वारा कब्जा किया जाना स्वीकार किया गया है । ऐसी स्थिति में बिना बेदखली के इस प्रकरण में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित नहीं की जा सकती है । अतः धारा 209 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार एक अतिरिक्त तनकी कायम की जाती है :–

"आया दौराने दावा प्रतिवादी ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जा कर लिया है जिसको बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का वादी अधिकारी है । "

10 उपरोक्तानुसार कायम की गई अतिरिक्त तनकी पर उभय पक्ष की साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य है ।

11 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 9 में कायम की गई अतिरिक्त तनकी पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.06.2018 को उपस्थित होवें ।

12 निर्णय आज दिनांक 05.04.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा